राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

मुकेश बनाम यादराम

धारा - 225

अपील सं० 115/2023

07.11.2023	वकील अपीलाण्ट उप0। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील अपीलाण्ट को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने दावा बाबत् घोषणा के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुये, एक पक्षीय स्थगन का अनुतोष चाहा था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.08.2023 को अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस जारी कर अग्रिम पेशी दिनांक 22.09.2023 नियत की गयी। तत्पश्चात् अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो गये। जिस पर अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् सुनवाई स्थगन प्रस्तुत किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्थगन सुनवाई ना करते हुये, पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दिनांक 17.08.2023 को अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत वकालतनामा की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री सोनी राम शर्मा, दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित हो गये हैं। तत्पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन दिये जाने दिनांक 29.09.2023 को प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई करने के बजाय, पुनः अप्रार्थीगण के लिये नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत हैं। जब प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हो ही गये थे, तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष को सुनकर न्यायोचित निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा ना करते हुये, प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 12.01.2024 जो काफी लम्बी है, नियत कर दी, जो न्यायोचित नहीं है। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित ना करते हुये, नोटिस जारी किये गये हैं एवं ऐसे आदेश की अपील सामान्यतः पोषणीय नहीं रहती है। परन्तु हम न्यायहित में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर, इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी निर्धारित कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई करते हुये, विधिवत निर्णय पारित करें। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी निर्धारित करते हुये, विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर